

RCM-S/2018/00032

15/10/18

27/2/19 निर्दिष्ट

29/10/18

(20)

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसूलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम आशीला देवी पनाला
कौम सोनी निवाली आशाला

किस्म मुकद्मा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मु. न. 20 सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिहास अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26-9-18	<p>पटवारी हल्का ... सड़ा ... ने रिपोर्ट पेश कर मुचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने सवत 2075 में मौजा ... आशाला ... के खसरा नं० ... 99 ... रकबा ... 0-16 बीघा ... किस्म भूमि ... गोवा ... पर नाजायज अतिक्रमण कर काष्ठ व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेर सायल को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15/10/2018 को बमुकाम ... सिणधरी ... पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> तहसूलदार सिणधरी</p>	
15/10/18	<p>पत्रावली भाण पेश हुई। और आग्रह अनुपस्थित नोटिफ आशाला स्वयं से नोटिफ नहीं हुआ। इस नोटिफ जारी होकर पत्रावली भाण्ड दिनांक 29/10/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> तहसूलदार सिणधरी</p>	
29/10/18		दिनेश कुमार

15-1-19

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली हक
के मौका रिपोर्ट प्राप्त। प-ह. का स्मरण
पत्र जारी है। पत्रावली आइन्दा दिनांक 31/1/19
के प्रस्तुत है।

~~तहसीलदार सिणधरी~~

31/01/19

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली
हक के मौका रिपोर्ट प्राप्त।
पत्रावली हक के स्मरण पत्र जारी
है। पत्रावली आइन्दा दिनांक 27/2/19
के प्रस्तुत है।


~~तहसीलदार सिणधरी~~

27/2/19

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली हक
उपस्थित पत्रावली हक के मालिक मण
संबंधी मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो
शामिल पत्रावली कर गई। निवार्य
भरण से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली है। पत्रावली फैसल सुमार
हैकर दफतर दारखिल है।

~~तहसीलदार सिणधरी~~

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के
पृष्ठ सं. 1.6 पर क्र.सं. 2 पर जुमाना/फसल
निलामी राशि रु. 50/- की मांग दर्ज की गई।


तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी

Jan.
27/2/19
प. श. श.